न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 69/2008/223 आरटीए

1. बिदो देवी पुत्री नत्थुराम (फौत)

1/1 सरजीत पुत्र बिदोदेवी जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/2 सुभाष पुत्र बिदोदेवी जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/3 बिमला देवी पुत्री बिदोदेवी पत्नि कुम्भाराम जाति जाट निवासी बिल्यू तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

1/4 कलावती पुत्री बिदोदेवी पत्नि भूपसिंह जाति जाट निवासी बालासर तहसील राणियां जिला सिरसा हरियाणा।

2. हरिसिंह पुत्र मु0 निको पुत्री नत्थुराम पत्नि इन्द्राज जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. धर्मपाल पुत्र मु0 निको पुत्री नत्थुराम पत्नि इन्द्राज जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. मु0 कृष्णा बेवा रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. निहालसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. बृजलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुरस्वती पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पो0

6. मैनादेवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. धापादेवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2003 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं0 374/2003 अनवानी रामचन्द्र बनाम स्टेट

उपस्थित :–

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांटस

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 4

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांक 28.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के पति व पिता रामचन्द्र ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि जो नत्थुराम के नाम से दर्ज थी, की वसीयत नत्थुराम द्वारा अपने पुत्र रामचन्द्र वादी के पक्ष मे कर दी जिसकी वसीयत के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अपीलाधीन निर्णय के जरिये डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 स. 5 प्रतिवादी स्टेट की तरफ से फर्द अहकाम दिनांक 14.07.2003 ने लिखा है कि जवाब स्टेट राज पैरोकार ने पेश किया अतः जवाब स्टेट बन्द किया जाता है जबकि पत्रावली मे स्टेट की तरफ से कोई जवाब पेश नही हुआ। समस्त कार्यवाही साजिसाना तरीके से एक पक्षीय की गई है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये विधि विरूद्ध निर्णय किया है। विवादित भूमि पैतृक जद्दी जायदाद है जो नत्थुराम को अपने पिता से प्राप्त हुई थी। नत्थुराम के फौत होने पर उसके जायज वारिस 4 पुत्रियां अपीलांट सं. 1 व रेस्पो0 सं. 6, 7 व एक पुत्री निको देवी फौत हो गयी जिसके वारिस अपीलांट सं. 2 व3 है व एक लड़का रामचन्द्र फौत हो चुका है जिसके जायज वारिस रेस्पो0 सं. 1 ता 4 है। नत्थुराम के फौत होने पर विवादित भूमि के पांचो वारिस प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा के हकदार थे। अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 6 व 7 को ना तो दावा मे पक्षकार बनाया गया एव ंना ही दावा मे सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। कानूनी स्थिति यह है कि किसी खातेदार की मृत्यु होने पर उसके सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था एवं सभी को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करना चाहिये था। वादी ने अर्जीदावा मे वाद प्रस्तुत करने बाबत कारण लिखा है कि प्रतिवादी को कल बमुकाम भादरा मे उक्त भूमि मुताबिक वसीयत वादी के नाम दर्ज करवाने का कहा तो ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया। उक्त तथ्यो से वादी को वाद पेश करने का कोई कारण हासिल नही होता है। इसलिये कारण के अभाव मे दावा खारिज योग्य था। विवादित भूमि पैतृक जद्दी जायदाद है जिसके सभी वारिस को हक व हिस्सा है। कानूनन पैतृक जद्दी जायदाद मे अपने हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि की वसीयत नही की जा सकती। विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि बाबत कोई जांच नही की सिर्फ दावा मे वर्णित तथ्यो के आधार पर विधि के मान्य सिद्धांतो के खिलाफ जाकर दावा डिक्री कर दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार

किये जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 4 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि नत्थुराम के नाम दर्ज थी जिसकी वसीयत दिनांक 14.03.2000 को रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के पति व पिता रामचन्द्र के पक्ष मे निष्पादित करवाई गई। नत्थुराम की मृत्यु होने के कारण उक्त वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर मुताबिक वसीयत घोषणा का अनुतोष चाहा गया और विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखित साक्ष्य के आधार पर वाद वादी डिक्री किया गया जो विधिसम्मत है। अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि जद्दी जायदाद होने का कथन किया है जबकि वादग्रस्त भूमि नत्थुराम की स्वअर्जित भूमि थी जिसकी वसीयत करने का नत्थुराम को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। अपीलांट ने पैतृक भूमि होने संबंधी कोई प्रस्तुत नही किये है। प्रश्नगत वसीयत दिनांक 14.03.2000 को निष्पादित करवाई गई थी तथा नत्थुराम की मृत्यु दिनांक 27.05.03 को हो चुकी थी। प्रश्नगत वसीयत एवं नत्थुराम की मृत्यु का ज्ञान होने के बावजूद भी उक्त अपील लगभत 5 वर्ष के बाद प्रस्तुत की गयी है जो मियाद बाहर है। इसलिए अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट के पिता नत्थुराम के नाम से दर्ज थी। उक्त भूमि के संबंध मे नत्थुराम के पुत्र रामचन्द्र द्वारा जरिये वसीयत दिनांक 14.03.2000 घोषणा का वाद प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहते हुए अपीलांटस को पक्षकार बनाये बिना ही वाद डिक्री करवाया गया जबकि अपीलांटस नत्थुराम की पुत्रियां है तथा रेस्पो0/वादी सं. 1 ता 4 के पति व पिता व रेस्पो0 सं. 6 व 7 की बहने है जो वादग्रस्त भूमि हक

हिस्सा रखती है तथा आवश्यक पक्षकार थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से अपीलांटस के हित प्रभावित हुये है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आवश्यक पक्षकारो संयोजित किये पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही होने से तथा अपीलाधीन निर्णय से अपीलांटस के हित प्रभावित होने के कारण अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2003 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति से लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 69/2008/223 आरटीए

4. बिदो देवी पुत्री नत्थुराम (फौत)

1/1 सरजीत पुत्र बिदोदेवी जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/2 सुभाष पुत्र बिदोदेवी जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/3 बिमला देवी पुत्री बिदोदेवी पत्नि कुम्भाराम जाति जाट निवासी बिल्यू तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

1/4 कलावती पुत्री बिदोदेवी पत्नि भूपसिंह जाति जाट निवासी बालासर तहसील राणियां जिला सिरसा हरियाणा।

5. हरिसिंह पुत्र मु0 निको पुत्री नत्थुराम पत्नि इन्द्राज जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

6. धर्मपाल पुत्र मु0 निको पुत्री नत्थुराम पत्नि इन्द्राज जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

8. मु0 कृष्णा बेवा रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

9. निहालसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

10. बृजलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

11. सुरस्वती पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पो0

13. मैनादेवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

14. धापादेवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2003 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं0 374/2003 अनवानी रामचन्द्र बनाम स्टेट

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांटस, श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 4, श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की

जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2003 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति से लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 28.11.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ